पैन के लिए आवश्यक दस्तावेज

अधिसूचना संख्या 96/2013, दिनांक 23-12-2013

क्रम सं.	आवेदक	प्ररूप	पहचान तथा पते के सबूत के रूप में दस्तावेज
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्यष्टि, जो भारत का नागरिक है	49क	**(अ) पहचान का सबूत -** (i) निम्नलिखित की प्रति,-- (क) मतदाता पहचानपत्र ; या (ख) आवेदक के फोटो सहित राशन कार्ड ; या (ग) पासपोर्ट ; या (घ) चालन अनुज्ञप्ति ; या (ङ) आयुध अनुज्ञप्ति ; या (च) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड ; या (छ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ; या (ज) आवेदक के फोटो सहित पेंशन भोगी कार्ड ; या (झ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अभिदायी स्वास्थ्य स्कीम फोटो कार्ड की प्रति ; या (ii) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगर निगम पार्षद् या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र ; या (iii) आवेदक का सम्यक् रूप से सत्यापित फोटो और बैंक खाता संख्या सहित ब्रांच के पत्र शीर्ष पर बैंक का मूल प्रमाणपत्र (जारी करने वाले अधिकारी के नाम और मुहर सहित) टिप्पण - किसी व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पहचान का सबूत माना जाएगा । **(आ) पते का सबूत -** (i) तीन महीने से अनधिक पुराने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति - (क) बिजली का बिल ; या (ख) लैंडलाइन टेलीफोन या ब्राडबैंड कनेक्शन का बिल ; या (ग) पानी का बिल ; या (घ) उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या पुस्तक या पाइप्ड गैस बिल ; या (ङ) बैंक खाता विवरणी या टिप्पण 1 के अनुसार ; या (च) निक्षेपागार खाता विवरणी ; या (छ) क्रेडिट कार्ड विवरणी ; या (ii) (क) आवेदक का पता सहित डाकघर पासबुक ; या (ख) पासपोर्ट ; या

			(ग) पति या पत्नी का पासपोर्ट ; या (घ) मतदाता पहचानपत्र ; या (ङ) संपत्ति कर का नवीनतम निर्धारण आदेश ; या (च) चालन अनुज्ञप्ति ; या (छ) सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र ; या (ज) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड ; या (झ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तीन वर्षो से अनधिक से जारी आवासन आबंटन पत्र ; या (ञ) संपत्ति रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज ; या (iii) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगर निगम पार्षद् या राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र ; या (iv) मूल नियोक्ता प्रमाणपत्र । की प्रति । टिप्पण 1 : किसी भारतीय नागरिक के भारत से बाहर रहने की दशा में निवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरणियों की प्रति । टिप्पण 2 : किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पते का सबूत माना जाएगा । **(इ) जन्म तिथि का सबूत -** (क) नगरपालिक प्राधिकरण या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकृत कार्यालय या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथा परिभाषित भारतीय कौंसलेट द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ; या (ख) पेंशन संदाय आदेश ; या (ग) विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र ; या (घ) मैट्रिकुलेशन का प्रमाणपत्र ; या (ङ) पासपोर्ट ; या (च) चालन अनुज्ञप्ति ; या (छ) सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र ; या (ज) जन्मतिथि अभिकथित करने वाला मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लिया हुआ शपथपत्र

2.	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	49क	(क) आवेदन की तारीख को सभी सहदायिकों के नाम, पिता का नाम और पते को दर्शाते हुए हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता का शपथपत्र ; और (ख) हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के संबंध में, क्रम सं. 1 में विनिर्दिष्ट व्यष्टि की दशा में, पहचान, पते और जन्म तिथि के सबूत के रूप में लागू किसी दस्तावेज की प्रति ।
3.	भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी	49क	कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ।
4.	फर्म (जिसमें भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी भी है)	49क	(क) फर्मों/सीमित दायित्व भागीदारियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ; या (ख) भागीदारी विलेख की प्रति ।
5.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यास)	49क	(क) न्यास विलेख की प्रति ; या (ख) पूर्त आयुक्त द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ।
6.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति)	49क	(क) करार की प्रति ; या (ख) पूर्त आयुक्त या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ; या (ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से जारी कोई अन्य दस्तावेज, जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान या पता साबित होता हो ।
7.	व्यष्टि जो भारत का नागरिक नहीं हैं	49कक	(i) **पहचान का सबूत :--** (क) पासपोर्ट की प्रति ; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति ; या (घ) "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो एक अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक की प्रति । (ii) **पते का सबूत :--** (क) पासपोर्ट की प्रति ; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की प्रति ; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति ; या (घ) "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो हेग अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्यांक या करदाता पहचान संख्यांक की प्रति ; या (ङ) निवास के देश में बैंक खाता विवरणी की प्रति ; या (च) भारत में अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरणी की प्रति ; या (छ) भारत में निवास के प्रमाणपत्र या राज्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जारी निवासी परमिट की प्रति; या (ज) विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी भारतीय पता उपदर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ; या (झ) प्रदान किए गए वीजा की प्रति और भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या

			संविदा की प्रति तथा नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते (मूल प्रति) का प्रमाणपत्र ।
8.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
9.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत कंपनी	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारा द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
10.	भारत से बाहर बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत फर्म	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
11.	भारत से बाहर बनाया गया व्यक्तियों का संगम (न्यास)	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारी द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
12.	भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न) या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति या कोई अन्य निकाय (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो)	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है या भारत में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक के विदेशी शाखा के प्राधिकृत पदधारा द्वारा जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल" (उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः रूप से सत्यापित प्रति ; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।